

28.03.2023 से हाकर विभाजन प्रस्ताव प्रारित हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली में सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 13.04.2023 को पेश है।

13.04.2023:- पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्ता की बहस को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना में उचित कदमों को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली गैर-समय की जाकर बाद तरबीज तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सदस्य कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

